

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 17.01.2025

हत्या/ लूट का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के का मकान व रिहायासी समान अनुमानित कीमत 14 लाख रूपये की संपत्ति को जब्त किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में, जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 550/23 धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 2(b)(xxv), 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना पिपराईच गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त विश्वास तिवारी उर्फ सन्नी तिवारी पुत्र वकील तिवारी निवासी ग्राम हरखापुर वार्ड नं0 6 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर के द्वारा हत्या/ लूट अपराध से अर्जित की गयी अवैध संपत्ति से निर्मित मकान व मकान के अन्दर भौतिक उपकरण (इस्तेमाली तख्त, पंखा, कुर्सी, मेज व अन्य घरेलु रिहायसी सामान) को तहसीलदार डा0 भागीरथी सिंह मय राजस्व टीम व थानाध्यक्ष पिपराईच मय पुलिस टीम व पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तकरण की कार्यवाही की गयी। जब्त की गयी संपत्ति अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रूपये है। अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास-

विश्वास तिवारी उर्फ सन्नी तिवारी पुत्र वकील तिवारी निवासी ग्राम हरखापुर वार्ड नं0 6 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 203/19 धारा 120 बी/392/411 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 314/18 धारा 392/411 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 319/18 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. मु0अ0सं0 412/18 धारा 392 भादवि थाना कसानगंज जनपद कुशीनगर
5. मु0अ0सं0 130/20 धारा 394/411 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 307/20 धारा 307/420 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 310/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 105/20 धारा 307/393 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
9. मु0अ0सं0 131/23 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
10. मु0अ0सं0 304/23 धारा 307/323/452/504/506 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
11. मु0अ0सं0 550/23 धारा 2(b)(i), 2(b)(xi), 2(b)(xv), 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधीक्रियाकलाप (अधिनियम, 1986 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

01 मकान व मकान के अन्दर भौतिक उपकरण (इस्तेमाली तख्त, पंखा, कुर्सी, मेज व अन्य घरेलु रिहायसी सामान) अनुमाति धनराशि 14 लाख रूपये।

कार्यवाही में शामिल टीम-

1. नायब तहसीलदार डा0 भागीरथी सिंह तहसील सदर गोरखपुर

2. थानाध्यक्ष पुरूषोत्तम आनन्द सिंह थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. व0उ0नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
4. म0उ0नि0 अर्चना भारती थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
5. आरक्षी प्रियेश यादव थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
6. आरक्षी प्रवीन तिवारी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
7. आरक्षी अनिरुद्ध यादव थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर